

अबरा अहमद वि०प्र०से० प्रभारी जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला के अभियोजन पदाधिकारी/प्रभारी लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक/ के कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक- 04.12.2015 को हुई बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

निम्नलिखित ए०पी०पी० अनुपस्थित पाए गए:-

1. श्री विवेक कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, (एन०डी०पी०एस०) मधेपुरा
2. श्री संजय कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, (मानवाधिकार) मधेपुरा
3. श्री शशिधर प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा
4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा

जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया गया कि जो अपर लोक अभियोजक बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, उनसे लोक अभियोजक के माध्यम से कारण-पृच्छ की मांग करें कि सूचना के बावजूद बैठक से अनुपस्थित रहने तथा प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के संबंध में उनके विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदन क्यों नहीं भेज दिया जाय? (अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

2. कार्यवाही:- सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा सभी का स्वागत किया गया और सभी से अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक सम्पन्न करने का अनुरोध किया गया ताकि अपराधियों में कानून का भय पैदा किया जा सके। अपराधियों को Conviction होने से लोगों में प्रशासन एवं न्याय के प्रति विश्वास कायम होता है, इसलिए हम सभी को इसके लिए बराबर प्रयत्नशील रहना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाई करने के लिए कहा गया :-

- * ए०पी०पी०, गवाही की तिथि की सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को उनके मोबाईल पर ससमय दे देंगे और थानाध्यक्ष की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। यदि किसी मामले में 3-4 गवाह हैं और एक दिन में सभी की गवाही नहीं हो पाती है तो गवाही के लिए 3-4 दिन के अंदर की तिथि ली जाय। समीक्षा करने पर पाया गया कि इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर खेद व्यक्त किया गया और कहा गया कि सभी समन्वय बनाकर कार्य करें और सभी को मिल जुलकर उसका सामना करते हुए अपराधियों को दण्ड दिलाना है।
 - * पी० पी० एवं सभी ए० पी० पी० अपराधियों की जमानत का कोर्ट में जोरदार दंग से विरोध करें ताकि उन्हें जमानत नहीं मिल सके क्योंकि कतिपय मामलों में यह शिकायत मिली है कि अपराधियों की जमानत का ए०पी०पी० द्वारा जोरदार विरोध नहीं किया जाता। इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए सभी को सार्थक पहल करनी चाहिए।
 - * यदि जमानत मिलने के बाद अपराधी फरार हो जाते हैं तो उनके जमानतदार के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जाय।
- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन बिन्दुओं पर सतत कार्यवाई की आवश्यकता है। इसलिए सभी लोग आगे भी इस ओर सचेत रहेंगे। इसके बाद अभियोजन पदाधिकारी/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा करने पर स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी:-

अभियोजन पदाधिकारी

क्र०	जिला अभियोजन पदाधिकारी/सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम/पदनाम	ट्रयाल केश				किमिनल अपील			एक्विटल होने का कारण	अपील खारीज होने का कारण	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
		आवंटित कुल केश	कनभिक्सन	एक्विटल	लंबित	आवंटित किमिनल अपील की सं०	अपील खारीज	लंबित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मो० मन्सूर आलम, प्रभारी जिला अभियोजन पदा० मधेपुरा	604	06	10	588	-	-	-	साक्ष्य के अभाव में अन्य साक्षियों को सभी प्रक्रिया के बावजूद उपस्थित नहीं होना	-	-	

7	श्री ब्रजेन्द्र नारायण आर्य, अपर लोक अभियोजक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्री शिव ना0 सादा, अपर लोक अभियोजक	53	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-
9	श्री रमानन्द प्रसाद यादव, अपर लोक अभियोजक	50	4	-	46	6	-	6	-	-	-	-
10	श्री विवेका कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, (एन0डी0पी0एस0) मधेपुरा	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
11	श्रीमती सरोजनी कुमारी, अपर लोक अभियोजक	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
12	श्री अनिल कुमार मिश्र, अपर लोक अभियोजक	52	-	-	52	19	-	19	-	-	-	-
13	श्री सदय कुमार, अपर लोक अभियोजक	47	-	1	46	-	-	-	-	-	-	-
14	श्री सुशील कुमार, विशेष लोक अभियोजक, (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मधेपुरा	63	0	02	61	21	10	11	लगभग 30 वर्ष पुराना केश होने के कारण	ससंधर्ष खारिज किया गया	विविध विषय पर सुनवाई हेतु	डेनोवो ट्राईल रहने के कारण सभी लंबित क्रिमिनल केश साक्ष्य पर है।

- जिलाधिकारी द्वारा एक भी मामले में Conviction नहीं करा पाने वाले अपर लोक अभियोजकों पर असंतोष व्यक्त किया गया और उन्हें अपनी उपलब्धि का स्वयं विश्लेषण कर उसमें सुधार लाने का अनुरोध किया गया।
- समीक्षा करने पर पाया गया कि बहुत से पुराने केश लंबित पड़े हुए हैं और उनको न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है। सभी अपर लोक अभियोजकों को निदेश दिया गया कि वे अपने यहाँ लंबित केशों का विवरण वर्षवार तैयार करें और नये मामलों के साथ साथ पुराने मामलों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनमें सुनवाई प्रारम्भ की जाय। यदि कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी प्रभारी लोक अभियोजक के माध्यम से तुरंत उपलब्ध करायी जाय। वे लंबित मामलों की सूची प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को भी तुरंत उपलब्ध कराए।
- उपस्थित सभी प्रभारी लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि वे आई0 ओ0, जिनकी गवाही अपेक्षित है, उनकी सूची तुरंत पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाय और उसमें सुनवाई की अगली तिथि की भी जानकारी दी जाय। गवाही के लिए निर्धारित तिथि के 3-4 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक से मिलकर या उनके मोबाईल (9431822997) पर एस0 एम0 एस0 भेजकर संबंधित आई0 ओ0 के बारे में जानकारी दे दी जाय।
- इसी तरह जिन मामलों में चिकित्सकों की गवाही की आवश्यकता है उनकी सूची सिविल सर्जन (9470003419) को पूर्ण ब्योरा एवं सुनवाई की अगली तिथि की जानकारी सहित उपलब्ध करायी जाय। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि उन सभी चिकित्सकों को गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए समय पर सूचित करेंगे और यदि उनकी सूचना के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होता है तो

